भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1542

(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जीराम-जी के तहत पश्चिम बंगाल को निधि का आवंटन

1542. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रोजगार के लिए विकसित भारत गारंटी और आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम -जी) योजना के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या पिछले दो महीनों के दौरान पश्चिमी बंगाल राज्य को कोई निधि जारी की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल को कोई ऐसी निधि जारी की गई है जो पिछले तीन वर्षों से लंबित थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025, पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी हो गया है। वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य हेतु ₹8,508 करोड़ का अंतरिम आवंटन स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात, राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई निधि की मांग के आधार पर प्रथम किश्त के रूप में ₹1264.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार अनुपालन न किए जाने के कारण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करना, 09.03.2022 से रोक दिया गया था। अतः विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई।

तथापि, राज्य में 01.06.2026 से महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के पुनः आरंभ होने पर, जून 2026 माह के लिए श्रम बजट स्वीकृत किया गया तथा ₹346.58 करोड़ की राशि की मूल स्वीकृति भी जारी की गई।